राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : 12(7)/राज/वाद/2024/पार्ट **जयपुर, दिनांक : 24-06-2025**

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18 मई 2025 को दोपहर 12:00 बजे मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, महाधिवक्ता राजस्थान सरकार, अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर और जोधपुर एवं विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गए –

क्र.सं.	प्रदत्त निर्देश	अपेक्षित कार्यवाही
1.	राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में प्रभावी रूप से सरकार का पक्ष रखा जावे एवं राज्य सरकार के द्वारा दायर अपीलों में प्रभावी पैरवी करवाई जावे।	समस्त प्रशासनिक विभाग
2.	प्रत्येक विभाग प्रकरणों को श्रेणीवार विभाजित करे, अधिक महत्वपूर्ण व जनकल्याण से जुडे प्रकरणों में त्वरित आवश्यक कार्यवाही करें और ऐसे प्रकरणों में महाधिवक्ता की नियुक्ति करवाकर समुचित एवं प्रभावी पैरवी करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।	समस्त प्रशासनिक विभाग
3.	माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन सरकार के महत्वपूर्ण प्रकरणों की विभाग के सचिव स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जावे एवं प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करवाई जावे, विज्ञ अधिकारी को वाद प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे। विभाग के महत्वपूर्ण प्रकरणों में शासन संयुक्त सचिव/शासन उप सचिव स्तर के अधिकारी को वाद प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे। आवश्यकता होने पर विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता से विडियो कानफ्रेन्सिग के माध्यम से वार्ता कर अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।	समस्त प्रशासनिक विभाग
4.	न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय कर वांछित आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर विभाग के लंबित प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।	समस्त प्रशासनिक विभाग
5.	ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक विभाग पक्षकार हैं उनमें विभाग आपसी सहयोग एवं निरन्तर समन्वय स्थापित कर आवश्यक वांछित विधिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।	समस्त प्रशासनिक विभाग
6.	अपील/नो अपील के संबंध में प्री अपील मॉनिटरिंग कमेटी की नियमित बैठकें की जावें, अपील/नो अपील के निर्णय समयावधि में लिए जावें तथा आवश्यक मामलों में ही अपील करवाई जावे। विभागों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपील विहित परिसीमा अवधि में दायर करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं विलंब की स्थिति में परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत समुचित कारण दर्शित करतेहुए, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर अपील दायर की जावे।	समस्त प्रशासनिक विभाग
7.	महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रकरणों की सुनवाई के दौरान	महाधिवक्ता/

RajKaj Ref No.: 16095965

	अधिनियम/नियम के सम्बन्ध में किसी बिन्दु विशेष पर संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर अपना सुझाव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करें और सम्बन्धित विभाग सुझाव के परिप्रेक्ष्य में वांछित आवश्यक कार्यवाही करे।	अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त प्रशासनिक विभाग
8.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्तर पर विभागीय वादकरण की नियमित समीक्षा की जावे, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। राजकीय वादकरण के संचालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।	समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
9.	वादकरण की समीक्षा, सुधार एवं सुझाव देने हेतु अधिकारियों एवं महाधिवक्ता को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जावे।	विधि विभाग

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, जयपुर, राजस्थान।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
10. एसीपी कम प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

Document certified by BRAJENDRA KUMAR JAIN <judgeCBI2015@gmail.com>.
Digitally Signed by BRAJENDRA KUMAR JAIN
Designation : Principal Secretary To Government
Date :24-06-2025 04:03:17